संख्या-117/2016/1680/26-3-2016-10(28)/1999

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 14 जून, 2016

विषयः- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत 03-अखिल भारतीय बंजारा उदासीन आश्रम, वृन्दावन रोड मथुरा के भवन जीर्णोद्धार/निर्माण हेतु धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक संख्या-467/स0क0/विकास/2016-17, दिनांक-30.05.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अखिल भारतीय बंजारा उदासीन आश्रम, वृन्दावन रोड मथुरा के भवन जीर्णोद्धार/निर्माण हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति में प्रशासकीय स्वीकृति (प्राक्कलन) धनराशि का उल्लेख तथा कार्यदायी संस्था का उल्लेख किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-71/2016/1003/ 26-3-2016-10(28)/1999, दिनांक-01.04.2016 द्वारा अखिल भारतीय बंजारा उदासीन आश्रम, वृन्दावन रोड मथुरा के भवन जीर्णोद्धार/निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रूपया-1,50,00,000/-(रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रूपया-75,00,000/-(रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। निदेशालय, समाज कल्याण के प्रस्तावानुसार प्रश्नगत भवन के जीर्णोद्धार/निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रूपया-1,50,00,000/- (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रूपया-75,00,000/- (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही धनराशि आहरित करके कार्यदायी संस्था, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(2) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी। कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराया जायेगा। ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें। उक्त प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, ड्राइंग एवं डिजाइन में परिर्वतन, अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

संख्या-117/2016/1680 (1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, मथुरा।
5- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0
7- अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता, मथुरा, जनपद इकाई।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा।
10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
11-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।